न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर शिविर, भोपाल

पी.बी.आर. / नि. / रायसेन / भू.रा. / 2017 / 4180

सईदा बी पत्नि स्व0श्री शौकत अली
निवासी–86, संजय नगर कॉलोनी,
शाहजहांनाबाद, भोपाल (म0प्र0)––– **निगरानीकर्ता**

विरुद्ध

जमील खाँ आ0श्री नत्थे खाँ
निवासी–बरेली, तहसील बरेली,
जिला–रायसेन (म0प्र0) ––– **प्रत्यर्थी**

निगरानी अंतर्गत धारा–50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता–1959

महोदय,

निगरानीकर्ता अपर आयुक्त महोदय, भोपाल संभाग, भोपाल के प्र0क0–02 / अपील / 17–18 में पारित आदेश दिनांक 16.10.2017 जिसके द्वारा उन्होंने निगरानीकर्ता का स्थगन आवेदन अंतर्गत धारा–52 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता का निरस्त किया से, दुःखित एवं असंतुष्ट होकर निम्नानुसार निगरानी समयावधि में प्रस्तुत है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक PBR/निग/रायसेन/22.21/2017/4180 जिला रायसेन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2–11–2017	आवेदकपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–10–17 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण दर्ज कर स्थगन आवेदन पत्र निरस्त किया गया है । जिसमें प्रथमदृष्टया किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता परिलक्षित नहीं होती है, क्योंकि आवेदक द्वारा इस न्यायालय में भी ऐसा कोई कारण नहीं दर्शाया गया है कि उनके द्वारा स्थगन नहीं देने में त्रुटि की गई है । अतः यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	